प्रकरण सं- 35/2021 सरकार / नरेन्द्र कुमार जैन

26/8/21 पैरो. सरकार उप. / अपार्थी का मृत्यु प्रमाण पत्र खाद्य सुरक्षा अधि. से प्राप्त कर पत्रावली दि. 30/9/2021 को पेश हो।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

30/9/2021 पैरो. सरकार उप. / अपार्थी का मृत्यु प्रमाण पत्र खाद्य सुरक्षा अधि. से प्राप्त कर पत्रावली दि. 28/10/2021 को पेश हो।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

28/10/2021 पैरो. सरकार उप. / अपार्थी का मृत्यु प्रमाण पत्र खाद्य सुरक्षा अधि. से प्राप्त कर पत्रावली दि. 30/12/2021 को पेश हो।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

30/12/2021 पैरो. सरकार उप. / अपार्थी का मृत्यु प्रमाण-पत्र खाद्य सुरक्षा अधि. से प्राप्त कर पत्रावली दि. 19/1/2022 को पेश हो।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

19/1/2022 जिला अभिभाषक संघ द्वारा बहिष्कार सुनवाई हेतु निवेदन किया गया। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। पैरो. सरकार उप. / अपार्थी का मृत्यु प्रमाण पत्र खाद्य सुरक्षा अधि. से प्राप्त कर पत्रावली दि. 17/2/2022 को पेश हो।

17/2/22 खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपार्थी की ओर से दायर की गई उक्त अपार्थी के अर्थ में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अपने अर्थ की मृत्यु दिनांक 12-5-21 को होना बताया तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। प्रकरण [illegible] की मृत्यु हो चुकी है। खाद्य सुरक्षा [illegible] की प्रकरण ड्रोप करने बाबत [illegible] है। अतः प्रकरण की अगली स्टेज पर ड्रोप किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना-पत्र ड्रोप किया जाता है। पत्रावली निर्णय हेतु [illegible] रखी जावे। दिनेश कुमार जैन

17-2-2022
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 15:15:05
Reason: SelfAttested